

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-54

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वनप्रभाग,  
टिहरी

  
वन सहायक  
टिहरी राशि  
नई दिल्ली

  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,  
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

प्रतिहस्ताक्षरित

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई दिल्ली

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप - 55

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

लागू नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रदेशीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी


Executive Engineer  
Construction Division  
Uttarakhand Pansadhan  
Vikas Evam Nirman Nigam  
Chamba (Tehri Garhwal)

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-56

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,  
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,  
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।  
एवं निर्माण निगम, चम्बा